रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 2018/ज्येष्ठ 19, 1940
No. 204] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 2018/ JYAISTHA 19, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

विषय :- डिजिधन मिशन का विस्तार

फा. सं. डीपीडी-12/10/2017- डीपीडी- एमईआईटीवाई.—जबकि, केन्द्र सरकार ने देश भर में डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 21 अगस्त, 2017 की अधिसूचना फा. संख्या 3(4)/2017-ईजी-II के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन डिजिधन मिशन नामक एक समर्पित मिशन की स्थापना की है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस मिशन के उद्देश्यों और गतिविधियों की समीक्षा की है।

अब केन्द्र सरकार एतदद्वारा "डिजिधन मिशन" विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 21 अगस्त, 2017 की राजपत्रित अधिसूचना फा. संख्या 3(4)/2017-ईजी-II में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. पैराग्राफ-1, **2** और 5 में निहित प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों में निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1.1 पैराग्राफ 1.4 : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन गठित डिजिधन मिशन के प्रचालन को एतदद्वारा 31 मार्च, **2020** तक बढ़ाया जाता है।

1.2 पैराग्राफ 2.1: डिलीट किया जाता है ।

1.3 पैराग्राफ 5.1 : डिजिधन मिशन देश में डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान स्वीकृति अवसंरचना बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य की दिशा में कार्य करेगा।

2. पैराग्राफ 2 में निहित प्रावधानों के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़े जाते हैं अर्थात् :

2.1 पैराग्राफ 2.20 : डिजिटल भुगतानों और इसकी स्वीकृति अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करना।

2.2 पैराग्राफ 2.**21 : 1** जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक **200**0 रुपए तक के लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई और भीम आधार पे के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की प्रतिपूर्ति।

2.3 पैराग्राफ **2**.22 : डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन डिज़ाइन करने और नकद लेनदेन पर आवश्यक सीमा निर्धारित करने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपाय और हस्तक्षेप प्रस्तावित करना।

2.4 पैराग्राफ **2**.23 : देशभर में डिजिटल भुगतान साक्षरता और संवर्धन अभियान चलाना।

2.5 पैराग्राफ **2**.24 : बड़े पैमाने पर और शीध्र कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरे पारिस्थितकीय तंत्र में डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने और ऑनबोर्डिंग के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देना।

2.6 पैराग्राफ **2**.25 : डिजिटल भुगतान लेनदेन की जियो टेगिंग द्वारा डिजिटल भुगतान के क्षेत्रीय इस्तेमाल की निगरानी के लिए कार्यविधि तैयार करना।

गोपालाकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

Subject: Extension of DIGIDHAN Mission

F.No. DPD-12/10/2017-DPD-Meity.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology F. No. 3(4)/2017-EG-II dated 21st August 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I has set up a dedicated Mission called the DIGIDHANMission under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in order to promote the Digital Payments across the country.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the objectives and activities of the mission.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the Gazette notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology F. No. 3(4)/2017-EG-II dated 21st August 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, notified under the subject namely 'DIGIDHAN Mission':-

1. For provisions in paragraph 1, 2 & 5, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 1.4: The operations of the DIGIDHAN Mission setup under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) is hereby extended till 31st March 2020.

1.2 Paragraph 2.1: To be deleted

1.3 Paragraph 5.1: The DIGIDHAN Mission will work towards the primary objective of promotion of digital payments in the country and to increase the digital payment acceptance infrastructure.

2. For provisions in paragraph 2, the following paragraphs are added namely:-

2.1 Paragraph 2.20: Creating a conducive policy environment for the promotion of digital payments and its acceptance infrastructure.

2.2 Paragraph 2.21:Reimbursement of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Cards, BHIM-UPI and BHIM Aadhaar Pay for transactions up to Rs 2000 from 1st January, 2018 to 31st December, 2019

2.3 Paragraph 2.22: Propose desired policy measures and interventions to design tax incentives to promote digital payments and necessary sealing on the cash payments.

2.4 Paragraph 2.23: Undertake digital payments literacy and promotion campaign across the country.

2.5 Paragraph 2.24: Promotion of best practices in the domain of digital payment technologies, processes, adoption and onboarding systems across the ecosystem for wide and quick uptake.

2.6 Paragraph 2.25: To device mechanism for monitoring the regional penetration of digital payments by geo tagging the digital payment transactions.

GOPALAKRISHNAN S, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.12 16:04:26 +05'30'